महत्वपूर्ण एवं खास

सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु 7 मार्च तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र मंगाये गये है। आवेदन पत्र 7 मार्च 2024 सायं 4 बजे तक संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा अथवा दुर्ग में जमा कर सकते है। आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

आंगनबाड़ी में रिक्त पद के लिए 18 मार्च तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र बोईरदादर क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 48 नगर पालिक निगम क्षेत्र रायगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त होने से उक्त पद की पूर्ति हेतु 26 फरवरी से 18 मार्च 2023 तक आवेदन पत्र मंगाये गये है। इच्छुक आवेदिका परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण में आवेदन जमा कर सकते है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश व नियम शर्तो के संबंध में परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

चार फरार वारंटियों को चक्रधरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया न्यायालय

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर फरार आरोपियों एवं वारंटियों की अभियान स्तर पर धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में दिनांक 23.02.2024 को थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के फरार 04 वारंटी- (1) गिरिराज सिदार पिता ने गुरु सुधार उम्र 35 साल निवासी कुकुर्दा (2) संतराम उरांव पिता आनंद राम उरांव उम्र 35 साल निवासी लामीदरहा कोसमघाट (3) नारायण राठिया पिता ठाकुर राठिया उम्र 30 साल निवासी नवापारा (4) राजाराम खलखो पिता घनश्याम खलखो 50 साल गोवर्धनपुर रायगढ़ को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। वारंटी राजाराम खलखो और गिरिराज सिदार आबकारी एक्ट तथा नारायण राठिया और संतराम उरांव मारपीट मामले के आरोपी रहे हैं। इनके न्यायालय पेशी पर नहीं आने पर इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था जिसके परिपालन में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। वारंटियों की पतासाजी में प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन, आरक्षक चन्द्रकुमार बंजारे ,नन्दकुमार पैकारा ,आरक्षक शैलेन्द्र पैकरा और रंजीत भगत की अहम भूमिका रही है।

शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। 13 फरवरी को थाना पूंजीपथरा में तमनार थाना क्षेत्र की युवती द्वारा नीरज तिवारी निवासी पूंजीपथरा पर शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने की आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी। महिला के आवेदन पर आरोपी नीरज तिवारी के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कर पीड़ित युवती का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कथन लिया गया। युवती बताई कि नीरज तिवारी का जिंदल काम्पलेक्स में जलपान होटल है, नीरज को वर्ष 2018 से जान परिचय है। नीरज तिवारी वर्ष 2019 से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा है, नीरज को कई बार शादी के लिए बोली। नीरज टाल मटोल करता रहा और अब अन्य युवती से शादी कर लिया है। युवती के आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया गया था। अपराध कायम के बाद से आरोपी नीरज गिरफ्तारी के भय से लुक छिप रहा था। आज सुबह थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी को मुखबीर से आरोपी के जिंदल कांपलेक्स के पास देखे जाने की सूचना मिली। तत्काल पूंजीपथरा की टीम द्वारा आरोपी नीरज तिवारी पिता राममूरत तिवारी उम्र 31 वर्ष निवासी हाडियाड़ीह बढ़ूवा थाना चौबेपुर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश वर्तमान निवास जिंदल कंपलेक्स पूंजीपथरा थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पीएम सूर्य घर योजना

300 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली, योजनांतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त होगी केन्द्रीय शासन का अनुदान

रायगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल की गई है। योजना के जरिए देश में रह रहे लाभार्थियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान की जाएगी।

वर्तमान में देश में रह रहे करोड़ों लोगों को बिजली बिल से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से लोग अपनी बिजली का बचत कर सकेंगे और सोलर सिस्टम के जरिए बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से देश में केंद्र सरकार ने 75000 करोड़ का बजट तय किया गया है एवं एक करोड़ घरों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। इस योजना के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी दी जायेगी और इसे सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लोगो के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े।

पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए एवं उसके आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आवेदक को मोबाइल नंबर, बिजली बिल उपभोक्ता क्रमांक, ई-मेल आईडी बैंक खाता देना होगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए क्रेडा विभाग, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

आवेदन की प्रक्रिया- पीएम सूर्य घर योजना के लिए फस्ट स्टेप में आवेदक सबसे पहले पोर्टल पर नियमानुसार रजिस्टर/ पंजीयन करें। पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाईट www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर अपना राज्य चूने। फिर इलेक्ट्रीसिटी कंपनी चूने, अब इलेक्ट्रीसिट कन्ज्यूमर नंबर का चुनाव करें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रवृष्ट करें। सेकेण्ड स्टेप में कन्ज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लाग-इन करें, अब रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। थर्ड स्टेप में अप्रूवल के लिए इंतजार करें एवं अपने डिस्कॉम (विद्युत विभाग)में किसी भी पंजीकृत विक्रेता से प्लांट लगवाएं। चौथा स्टेप में एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें। पांचवां स्टेप में नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद पोर्टल से पूर्णता/कमिशनिंग प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा। छठवां स्टेप में जब एक बार पूर्णता/ कमिशनिंग रिपोर्ट मिल जाएगा, तब आप अपना बैंक अकाउंट विवरण तथा निरस्त चेक पोर्टल के माध्यम से जमा कर दें इसके बाद तीस दिनों के भीतर ही सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

योजनांतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय शासन का अनुदान- पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय शासन अनुदान के तहत औसत मासिक विद्युत खपत (यूनिट)के तहत 0-150, उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लाट क्षमता 1-2 कि.वां. के लिए 30 से 60 हजार तक अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह 150-300 यूनिट के लिए 2-3 कि.वां.क्षमता हेतु 60 हजार से 78 हजार एवं 300 यूनिट के लिए 3 कि.वां. से अधिक हेतु 78 हजार का अनुदान का प्रावधान है।

महतारी वंदन योजना हेतु दावा-आपत्ति सूची जारी, 25 फरवरी तक कर सकते है दावा-आपत्ति आवेदन

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का दावा-आपत्ति हेतु सूची संबंधित ग्राम पंचायत/ वार्ड व आंगनबाड़ी केन्द्र इत्यादि में सूची का चस्पा कर दिया गया है। सूची को देखकर कोई भी हितग्राही स्वयं ऑनलाईन अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवेदन के माध्यम से दावा-आपत्ति कर सकेंगे। दावा-आपत्ति करने के लिए मोबाइल नंबर प्रदान करना आवश्यक है। दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है। दावा-आपत्ति प्राप्त होने पर 26 से 29 फरवरी तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। दावा-आपत्ति का निराकरण पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा तथा 2 मार्च को स्वीकृति जारी की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 3 लाख 5 हजार 554 आवेदन प्राप्त हुए है। विस्तृत जानकारी कंट्रोल रूम, परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी।

इंजेक्शन अंतरा के बारे में दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आर.एन.मंडावी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन injectable contraceptive(Antra) विषय पर दो दिवसीय चिकित्सा अधिकारी, आर.एम.ए, सी.एच.ओ ,स्टाफ नर्स एवं ए.एन.एम., को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के आरोग्यम सभा कक्ष में मास्टर ट्रेनर डॉ दिनेश नायक एवं सुषमा लाल (स्टाफ नर्स) के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में इंजेक्शन अंतरा प्रसव पश्चात 45 दिन उपरांत इंजेक्शन अंतरा दो बच्चों के बीच अंतराल के लिये लगाया जाता है यह एक अस्थायी विधि है इसकी मात्रा 150 मि.ग्रा. हाथ/ कमर में त्वचा के नीचे लगाया जाता है इसकी डोज मात्रा 100 या 104एमजी 0.65एमएल हर तीन माह में 6 बार लगाया जाता है। इंजेक्शन अंतरा लगाने के बाद महावारी के चक्र को बंद कर माताए गर्भवती नही होती, गर्भधारण को रोका जा सकता है। इंजेक्शन अंतरा के प्रभाव से एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (अस्थानिक गर्भावस्था) नही होती, सिकलसेल संकट को कम किया जा सकता है। बच्चेदानी में होने वाले गाँठ भी इंजेक्शन के प्रभाव, गर्भाश्य के अंदर होने वाले अण्डाश्य में होने वाले कैंसर को रोका जा सकता है। 7 से 10 माह में इंजेक्शन बंद होने के बाद गर्भधारण की क्षमता वापस आ जाती हे। पति-पत्नी मिलन के दौरान किसी प्रकार की बाधा नही होती 6 हफ्ते बाद दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में किसी प्रकार की गुणवत्ता, मात्रा, रचना में कमी नही आती एवं शिशु स्वस्थ रहता है। इंजेक्शन अंतरा से माँ एवं बच्चे के अंतराल में स्वस्थ रहने का एक अच्छा उपाय है। इस संबंध में अभी तक 120 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

खनिज चूनापत्थर एवं रेत का अवैध परिवहन करते 4 वाहन पकड़ाए

❒ अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार होगी कार्यवाही

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु खनि अधिकारी को निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देश के परिपालन में खनि निरीक्षक आशीष गढ़पाले एवं जिला खनिज जांच दल द्वारा आज निरीक्षण किया गया। अवैध परिवहन करते हुए खनिज चूनापत्थर (गिट्टी) के 01 ट्रेरलर एवं खनिज रेत का 3 हाइवा पकड़ा गया। जिसमें संबंधित वाहनों को सुरक्षार्थ हेतु कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़ में रखा गया है। जिन वाहनों को जप्त किया गया है। इनमें वाहन मालिक राजू अग्रवाल फ्रेंड्स कालोनी रायगढ़ के वाहन क्रमांक सीजी 13 एडी 8111 में चूना पत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इसी तरह शेखर पटेल औंराभाठा रायगढ़ वाहन क्रमांक सीजी 13 एव्ही 9613, तिलकराम पटेल रायगढ़ वाहन क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 9813 तथा लक्ष्मण सिदार वाहन क्रमांक सीजी 13 एआर 7658 के द्वारा रेत का परिवहन किया जा रहा था।

उक्त सभी प्रकरणों में छ.ग.गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खान एवं खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहन कर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास खनिज उत्खन्न, परिवहन एवं भंडारण करना दण्डनीय अपराध है। अवैध उत्खनन, परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध इसी प्रकार का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आगे भी जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच जारी रहेगी।

न्यौता भोजन कार्यक्रम में कलेक्टर एवं सीईओ ने बच्चों के बीच बैठकर किया भोजन

❒ नटवर स्कूल रायगढ़ में हुआ न्यौता भोजन कार्यक्रम का आयोजन

रायगढ़। बच्चों में पोषण शक्ति विकास के लिये सभी व्यक्ति, समाज, संगठन, समाजसेवी, गणमान्य व्यक्ति आगे आयें और अपना और अपने परिवार का विशेष दिन अपने पास के किसी सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ मनायें, ताकि बच्चों को उच्च गुणवत्ता के साथ पोषणयुक्त भोजन मिल सके। उक्त बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने शासकीय नटवर अंग्रेजी माध्यम स्कूल रायगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति विकास योजना के तहत न्यौता भोजन कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव भी उपस्थित रहे। न्यौता भोजन कार्यक्रम में कलेक्टर गोयल एवं सीईओ यादव बच्चों के बीच बैठकर भोजन भी ग्रहण किए। आज का न्यौता भोजन कार्यक्रम लायंस क्लब रायगढ़ मिडटाउन के सहयोग से आयोजित किया गया। जिसके लिये कलेक्टर गोयल ने लायंस क्लब को धन्यवाद दिया।

ज्ञात हो कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के निर्देशों में दर्शित तिथि भोजन को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय स्कूलों में न्यौता भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति संगठन या समाज के लोग सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से भोज दे सकेंगे। न्यौता भोजन का उद्देश्य सरकारी स्कूल के बच्चों के भोजन में पोषक मूल्य में वृद्धि, समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करना है। योजना के अंतर्गत कोई भी अपनी स्वेच्छा से स्कूलों में भोज आयोजित कर सकता है। उपरोक्त न्यूनतम पोषण के लिए स्कूलों को कोई नगद राशि या चेक नहीं दिया जाना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूलों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन को सामाजिक भागीदारी के जरिए और ज्यादा पोषक बनाने की एक उत्कृष्ट पहल है। न्यौता भोजन स्कूलों में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मध्यान्ह भोजन के साथ दिया जा सकने योग्य अधिकतम पोषण आहार है।

न्यौता भोजन के तहत विभिन्न त्योहारों और अवसरों जैसे जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, शादी, कोई धार्मिक आयोजन और अन्य राष्ट्रीय पर्व पर इसका आयोजन स्कूलों में किया जा सकता है और बच्चों को पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन मध्यान्ह भोजन के साथ देकर खिलाया जा सकता है। इसके लिए सभी शासकीय शालाओं के प्राचार्यो और प्रधान पाठकों से संपर्क किया जा सकेगा। न्यौता भोजन का आयोजन सिर्फ स्कूल परिसर में ही आयोजित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत समुदाय के लोग शालाओं में किचन के बर्तन भी प्रदान कर सकते हैं। दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शाला की प्रार्थना समय एवं वार्षिक उत्सव जैसे अवसर पर सम्मानित किया जा सकता है। न्यौता भोजन में मध्यान्ह भोजन के साथ-साथ स्थानीय खान-पान के अनुसार पौष्टिक भोजन जैसे फल, दूध, मिठाई, बिस्कुट, हलवा, चिक्की, अंकुरित अनाज, पूरी, खीर और विशेष कर हमारे छत्तीसगढ़ के मिलेट्स को सम्मिलित किया जा सकता है। न्यौता भोजन में किसी भी स्थिति में फास्ट फ़ूड जैसे चाउमीन, मैगी, पास्ता, नूडल जैसे खाद्य पदार्थो का समावेश नही किया जाएगा।

इस अवसर पर लायंस क्लब से शैलेश अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब, विजय हरी अग्रवाल, अध्यक्ष, लायंस क्लब मिडटाउन, राजेश अग्रवाल, सदस्य, सुनील अग्रवाल, सदस्य राजेश अग्रवाल डीएसआर, सदस्य की उपस्थिति में नटवर स्कूल के 450 बच्चों के बीच बैठक भोजन ग्रहण किए। मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी बी बाखला, जिला मिशन समन्वयक नरेंद्र चौधरी, सहायक संचालक तरसीला एक्का, एपीसी भुवनेश्वर पटेल, आलोक स्वर्णकार, मोहम्मद फारुखी, मध्यान्ह भोजन प्रभारी, प्राचार्य रूबी एस वर्गीस एवं समस्त स्टाफ नटवर स्कूल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन प्राचार्य राजेश डेनियल ने किया।

रेस्क्यू : जख्मी हालत में मिले हिरण का पुलिसकर्मी और फारेस्ट गार्ड ने कराया उपचार

रायगढ़। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी को बंजारी मंदिर के आगे घरघोड़ा मुख्य मुख्य मार्ग पर एक घायल हिरण के पड़े होने की सूचना मिली। थाना प्रभारी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे अपने स्टाफ को मौके पर भेजे। मौके पर थाना पूंजीपथरा स्टाफ और वनकर्मी पहुंचे, जहां सड़क पार करते किसी वाहन से टकराने से हिरण घायल होकर तड़प रहा था। मौके पर ग्रामीणों की मदद से हिरण का प्राथमिक उपचार कराया गया जिसके बाद वनकर्मी ने हिरण को अपने कब्जे में लेकर उसका बेहतर उपचार कराया गया और हिरण को वापस वन में छोड़ा गया है।

राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर को जनता को समर्पित होगा "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047" -वित्तमंत्री

- ❒ दुर्ग संभाग में नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना
- ❒ राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का होगा गठन
- ❒ टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ का बजटीय प्रावधान
- ❒ जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से बढ़ेगा राज्य का राजस्व
- ❒ वित्त विभाग से अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रूपए की अनुदान मांग पारित
- ❒ आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार की अनुदान मांग पारित
- ❒ योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार की अनुदान मांग पारित

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों से संबंधित अनुदान मांगे आज विधानसभा में चर्चा के बाद सर्मसम्मति से पारित कर दी गई। इसमें वित्त विभाग के अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार रूपए तथा योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधानसभा सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की मांगे रखीं और अपने सुझाव भी दिए।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस रणनीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वर्ष 2047 तक भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित करेंगे। छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा जिसना नाम "अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @2047" होगा।

ओपी चौधरी ने कहा कि मिडटर्म टारगेट के दौर पर मोदी जी की गारंटी में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से छलांग लगाकर 10 साल के भीतर 5वें स्थान पर पहुंची है और इसी मिडटर्म टारगेट के तौर पर हमने अगले पांच साल में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपए करने का लक्ष्य रखा है।

ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य में हम तकनीक के प्रयोग को अत्यधिक महत्व देंगे और इसी वजह से टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है हम उसे महत्व दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की जो हमारी रणनीति है उसका मूल आधार तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन ही है।हम प्रदूषण के मानकों को भी बेहतर करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अर्थव्यवस्था के नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायडरी काउंसिल के गठन का भी निर्णय लिया गया है। ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य में गहरे अध्ययन के बाद हम जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसका प्रभाव अगले एक वर्ष में दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने राजस्व को 22 फीसदी की दर से बढ़ाएंगे और हम ईमानदारी से अपना प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि दुर्ग संभाग में शासकीय सेवकों को वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नवीन 18 पदों का सृजन तथा भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान , रायपुर के नवीन भवन निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

ओपी चौधरी ने कहा कि हम निश्चित रूप से सभी मंत्रालयों के बीच एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित करेंगे और माननीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे ताकि अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास की गति न रुके और पूंजीगत व्यय भी होता रहे, सड़कें पुल भी बनते रहें उसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इतने सारे बड़े वित्तीय दावों के बीच में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु 7 हजार 729 करोड़ 14 लाख रूपए का प्रावधान बजट में शामिल है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जायेगा। इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480